प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.08.2026

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा अवैध गांजे की तस्करी की करने वाले 03 अभियुक्त पुलिस मुठभेड में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 21 किलाग्राम अवैध गांजा व एक स्कूटी व अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

दिनांक 08.08.2026 को थाना विजयनगर पुलिस टीम एवं नगर स्वाट टीम व नगर सर्विलांस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अवैध गांजे की तस्करी करने वाले तीन व्यक्ति हिन्डन बैराज की ओर से अवैध गांजा लेकर आ रहे है। सूचना पर विजयनगर पुलिस एवं नगर स्वाट टीम एवं सर्विलांस सैल टीम द्वारा संयुक्त रूप से हिन्डन बैराज पर चैकिंग करने लगे। तभी हिन्डन वेराज की तरफ से एक स्कूटी पर सवार तीन व्यक्ति आते दिखायी दिये। जिन्हे पुलिस द्वारा टार्च एवं इशारे से रूकने का इशारा किया गया लेकिन पुलिस को चेकिंग करता देख स्कूटी सावर बदमाश हिन्डन पुस्ता की ओर स्कूटी को तेजी से मोड़कर भागने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा स्कूटी सवार बदमाशो का पीछा किया गया। जिससे स्कूटी सावर व्यक्ति अनियन्त्रित होकर गिर गये। स्कूटी सवार बदमाशो को पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को अपनी ओर आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाशों पर फायरिंग की गयी जिसमें दो बदमाश घायल हो गये तथा घायल अभियुक्त अनस व दिलशाद तथा तीसरे व्यक्ति असलम को मौके पर ही स्कूटी एवं अवैध गांजा 21 किलोग्राम व अस्लाह के साथ हिन्डन पुस्ता से गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्तों अनस व दिलशाद को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग गांजा खरीद कर उसे एनसीआर क्षेत्र में बेच देते है जो पैसा मिलता है उसे वापस में बराबर बराबर बांट लेते है आज भी हम गांजा बेचने के लिये चोरी छिपे रात में आये थे। लेकिन पुलिस द्वारा हमे पकड लिया गया। हमने बचने के लिये पुलिस पर फारिंग कर दी थी। गलती हो गयी।

नाम पता अभियुक्तः -

1. अनस पुत्र हारुन निवासी कुरेशियान मौहल्ला फरीद नगर थाना भोजपुर गाजियाबाद हाल पता अर्थला पडाव के पास पीर वाली कालोनी थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष (पुलिस मुठभेढ में घायल)
2. दिलशाद पुत्र नियाज अहमद निवासी फारुख नगर असालदपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष (पुलिस मुठभेढ में घायल)
3. असलम पुत्र इस्लाम निवासी फारुख नगर असालदपुर थाना टीलामोड जनपद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूट बिना नम्बर प्लेट।
2. 02 अवैध तमंचा 315 बोर , 02 जिन्दा कारतूस , 02 खोखा कारतूस 315 बोर (मुठभेड़ में बरामद)
3. 21 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त **अनस** उपरोक्त पर - 09 अभियोग एनडीपीएस से सम्बन्धित, 01 अभियोग पुलिस मुठभेड़ से सम्बन्धित , 02 अभियोग लूट से सम्बन्धित, 02 अभियोग आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित, कुल 14 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

स्वाट टीम नगर जोन,

सर्विलांस सैल टीम नगर जोन व

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल बरामद।

आज दिनांक 09.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोबाइल चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. ऋषभ उर्फ गिल्ली 2. विरेन्द्र उर्फ वीरू को अम्बे चौक के पास थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल बरामद हुए। बरामद चोरी के एक मोबाइल के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हमारे पास से जो 03 मोबाइल बरामद हुए हैं ये तीनों चोरी के है। जिन्हें हमने अलग-अलग जगहों से अपने साथियों निक्की उर्फ निखिल व विकास खारी उर्फ टॉली के साथ मिलकर चोरी किये थे। जिसमें से हमने एक मोबाइल पीली बिल्डिंग ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से चोरी किया था। चोरी किये गये मोबाइलों को हम लोग राह चलते व्यक्तियों को बेचकर मिले पैसों को आपस में बाँट लेते है तथा अपने शौक पूरे करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. ऋषभ उर्फ गिल्ली पुत्र रंजीत सिंह निवासी बंसल चौक के पास राम पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल पता प्रेम नगर देहरादून (उत्तराखण्ड), उम्र करीब 22 वर्ष ।
2. विरेन्द्र उर्फ वीरू पुत्र आनंद निवासी बंसल चौक के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष ।

वांछित अभियुक्तों का नाम व पता-

1.निक्की उर्फ निखिल 2.विकास खारी उर्फ टॉली

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना ट्रोनिका सिटी पर मोबाइल चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.08.2026 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त कृष्णा जाटव पुत्र शीशपाल नि0 एफ 361 वैशाखी राम स्कूल शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद को शहीदनगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरूद्ध थाना साहिबाबाद के मु0अ0स0 421/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त थाना साहिबाबाद क्षेत्र में सक्रिय एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य चोरी, स्नैचिंग तथा चोरी का सामान/संपत्ति (मोबाइल/वाहन आदि) छिपाने व बेचने की घटनाओं को अंजाम देता है। अभियुक्त ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह अपने आपराधिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित कर अपना जीवन-यापन करता है और पकड़ा न जाए, इसके लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था। उक्त संगठित आपराधिक गतिविधियों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम पता :-

1. कृष्णा जाटव पुत्र शीशपाल नि0 एफ 361 वैशाखी राम स्कूल शहीद नगर थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

➤अभियुक्त कृष्णा जाटव उपरोक्त के विरुद्ध 01 अभियोग चोरी का थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद पर पंजीकृत है। तथा 02 अभियोग लूट व 01 अभियोग गैंगस्टर एक्ट थाना साहिबाबाद पर पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

➤अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

➤थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर एवं कांवड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण किया तथा श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई।

आज दिनांक 09.08.2026 को कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर एवं मेरठ तिराहे से एएलटी तक कांवड़ यात्रा मार्ग का विस्तृत भ्रमण व स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा एएलटी चौराहे पर कांवड यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर अभिनन्दन किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं कांवड़ियों की सुरक्षा, जलाभिषेक व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, तथा कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया।

- मंदिर परिसर तथा प्रवेश/निकास द्वार पर तैनात पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। साथ ही दूधेश्वरनाथ मन्दिर कांवड कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर पूरे परिसर की 24x7 निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।
- श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन हेतु बनाई गई बैरिकेडिंग व अन्य व्यवस्था का निरीक्षण किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से जलाभिषेक व दर्शन का अवसर मिले।
- मंदिर की ओर आने वाले प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन एवं सुदृढ़ पार्किंग व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिससे आमजन व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
- मंदिर प्रशासन एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर साफ़-सफ़ाई, पीने के पानी, मेडिकल कैंप व आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
- श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कांवड यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया तथा श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा, सुरक्षा प्रबंध एवं समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा एएलटी चौराहे पर कांवडियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा उन्हें सुरक्षित एवं सुगम कांवड़ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।

भ्रमण के दौरान पुलिस उपायुक्त नगर/ट्रांस हिंडन, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली, सहायक पुलिस आयुक्त नन्दग्राम उपस्थित रहे।